जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 88 प्रभात कोटा, शुक्रवार 10 जनवरी, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रु.

दिल्ली विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अकेली और अलग-थलग पड़ी

इंडिया गठबंधन के सभी दल केजरीवाल के समर्थन में खुलकर सामने आए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी। दिल्ली में कांग्रेस एकदम अकेली पड़ गई है, क्योंकि इंडिया एलायन्स के सभी घटक दलों और कांग्रेस के सहयोगियों ने आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का निर्णय लिया है।

इसके लिए कांग्रेस नेता और पार्टी कोषाध्यक्ष अजय माकन को जिम्मेवार माना जा रहा है, जिन्होंने न केवल कांग्रेस के चुनाव प्रचार को पटरी से उतार दिया बल्कि यह भी सुनिश्चित कर दिया की इंडिया गठबंधन के सभी दल केजरीवाल का समर्थन करें।

अजय माकन ने केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जीवाल कहा। केजरीवाल ने तो इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों से यह तक कह दिया कि कांग्रेस को गठबंधन से निकाल कर बाहर फेंके दें। उन्होंने यह भी कहा कि अजय माकन को माफी मांगनी चाहिए।

माकन ने कहा था कि वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात विस्तार से बताएंगे, किस प्रकार से केजरीवाल देशद्रोही है, पर उसके पहले ही कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें रोक दिया और प्रैस कॉन्फ्रेंस करने से मना कर दिया। यह निर्णय एक वरिष्ठ गठबंधन सहयोगी के फोन कॉल के बाद किया गया। कांग्रेस से कहा गया कि आम आदमी पार्टी गठबंधन की घटक

(शेष पृष्ठ 3 पर)

- ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और उद्धव ठाकरे तो केजरीवाल के समर्थन में चुनावी रैली को भी संबोधित करेंगे।
- दिल्ली विधानसभा के त्रिकोणात्मक चुनाव में कांग्रेस को सबसे कमज़ोर माना जा रहा है। इसके विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभरने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं है।
- कांग्रेस की इस दशा के लिए अजय माकन को जिम्मेवार ठहराया जा रहा है, जिन्होंने केजरीवाल को देशद्रोही और फर्जीवाल कहा तथा वे तो केजरीवाल के खिलाफ एक प्रैस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले थे।
- पर, केजरीवाल की शिकायत पर इंडिया गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के कॉल के बाद कांग्रेस नेतृत्व ने अजय माकन पर अंकुश लगाया।
- अब स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस का चुनाव प्रचार एकदम फीका पड़ चुका है, यह तक पूछा जा रहा है कि क्या कांग्रेस दिल्ली चुनाव के लिए गंभीर है।

संभल की शाही जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी। संभल शाही जामा मस्जिद मैनेजमेन्ट कमेटी गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय पहुँच गई। कमेटी ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की कि जिला मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जायें कि मस्जिद की सीढ़ियों/ प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं के सम्बंध में यथास्थिति बरकरार रखी जाये।

कमेटी ने जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश देने की भी मांग की कि कुएं की जांच के सम्बंध में कोई कदम न उठाये जायें तथा शीर्ष अदालत की आवश्यक अनुमति के बिना मस्जिद के प्रवेश द्वार पर स्थित कुएं को खोला नहीं जाये।

जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देने की मांग करने वाले प्रार्थनापत्र में कहा गया है: "संभल का जिला प्रशासन शहर के पुराने मंदिरों तथा कुओं के जीर्णोद्वार का अभियान चला रहा है तथा रिपोर्ट बता रही हैं कि कम से कम 32 पुराने तथा काम में नहीं आ रहे मंदिरों का जीर्णोद्वार

(शेष पृष्ठ 3 पर)

- कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि जिला प्रशासन को यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया जाए, खासकर मस्जिद की सीढ़ी के पास बने कुएं के संदर्भ में।

आर.पी.एस.सी. को एक बार फिर दोषी पाया हाई कोर्ट ने

2019 की पशुचिकित्सक भर्ती में नयी मैरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिये

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 9 जनवरी (कासं)। जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट, में राज्य सरकार द्वारा 2019 में 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती प्रक्रिया में अयोग्य अभ्यर्थियों को चुने जाने के खिलाफ दायर रिट याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में 80 से अधिक याचिकाकर्ताओं ने अलग-अलग मुद्दों पर याचिका दायर की थी। परन्तु मुख्य तौर पर अदालत के समक्ष जो विवाद उभर के सामने आया, वह यह था कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (आर.पी.एस.सी.) ने अभ्यर्थियों की परीक्षा के बाद मैरिट लिस्ट में उन अभ्यर्थियों का चयन कर लिया, जो पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी.वी.एससी.) के अंतिम सत्र में पढ़ रहे थे, जबकि नियम यह कहता है कि केवल उन अभ्यर्थियों का चयन किया जा सकता है, जिन्होंने अंतिम सत्र की आखिरी परीक्षा दी हो। इस मामले में याचिका कर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया, आर.एन. माथुर, संदीप शाह, अधिवक्ता तनवीर अहमद और रघुनन्दन शर्मा पैरवी के लिए पेश हुए थे।

इस मामले की जिरह के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि 22 अक्टूबर 2019 को जारी की गई विज्ञप्ति के अनुसार, 900 पशुचिकित्सक के पदों की भर्ती के लिए राज्य सरकार ने केवल दो ही मानक तय किये थे। पहला, कि अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पशु चिक्तिसा विज्ञान और पशुपालन (बी.वी.एससी.) की डिग्री हो और उसे राजस्थानी संस्कृति के बारे में जानकारी हो और देवनागरी लिपि पढ़नी- लिखनी आती हो।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार के पशुपालन सेवा नियम 1963 के अनुसार, अकादमिक और तकनीकी योग्यता उन्हीं अभ्यर्थियों को दी जा सकती है, जो पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी.वी.एससी.) की डिग्री के आखरी सत्र की अंतिम परीक्षा में पेश हो चुके हों।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास बालिया ने अदालत को बताया कि वर्ष 2011 और वर्ष 2013 की भर्तियों पर ऐसा ही विवाद पैदा हुआ था, तब राज्य सरकार ने नियमों का ही हवाला देते हुए पुरजोर तरीके से कहा था कि केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को चुना जा सकता है, जो पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी.वी.एससी.) कोर्स के अंतिम सत्र की आखिरी परीक्षा दे चुके हैं। इसलिए आर.पी.एस.सी. अब अभ्यर्थियों को उनके हक से वंचित नहीं कर सकती।

वहीं, आरपीएससी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता महेश थानवी ने अदालत को कहा कि पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय ने अपने आखिरी सत्र के अंतिम परीक्षा 16 नवंबर 2019 को घोषित की थी, परन्तु विज्ञप्ति के अनुसार फॉर्म भरने की आखरी तारीख 24 नवंबर 2019 थी, जिससे साफ

(शेष पृष्ठ 3 पर)

- इस भर्ती प्रक्रिया में नियम था कि केवल उन अभ्यर्थियों को चयनित किया जा सकता है जो पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी.वी.एससी.) के डिग्री धारक हों या कोर्स के अंतिम सत्र की आखरी परीक्षा में भाग ले चुके हों।
- परन्तु आर.पी.एस.सी. ने कई ऐसे अभ्यर्थियों का चयन किया था जिनके पास डिग्री नहीं थी और जो पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन (बी.वी.एससी.) डिग्री के अंतिम सत्र के छात्र थे।

प्रदेश को 5 हजार मैगावाट का मिला अतिरिक्त आवंटन

जयपुर, 9 जनवरी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों के फलस्वरूप केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम कुसुम योजना के कम्पोनेंट-ए के अंतर्गत 5 हजार मेगावाट के अतिरिक्त आवंटन को मंजूरी दी है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य होने के दृष्टिगत केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रल्हाद जोशी को पत्र लिखकर पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत अतिरिक्त आवंटन का अनुरोध किया था। साथ ही, हाल ही में मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात के दौरान इस संबंध में चर्चा की थी।

राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन

(शेष पृष्ठ 3 पर)

- वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के संकल्प की दिशा में अहम कदम।
- मुख्यमंत्री भजनलाल की कोशिशों के कारण केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत अतिरिक्त बिजली आवंटन को मंजूरी दी है।

गुरुवार को एच.एम.पी.वी. के दो मामले और मिले

नयी दिल्ली, 09 जनवरी। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस के गुरुवार को 2 केस मिले हैं। पहला मामला उत्तर प्रदेश का है। जहाँ, लखनऊ में 60 साल की महिला पॉज़िटिव पाई गई है।

गुजरात के हिम्मतनगर में 7 साल के एक बच्चे की एचएमपीवी रिपोर्ट पॉज़िटिव आई है। हालांकि, यह रिपोर्ट प्राइवेट अस्पताल की लैब की है। देश में वायरस से जुड़े कुल 11 मामले हो गए हैं। महाराष्ट्र में 3, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में एक-एक केस सामने आए हैं।

एचएमपीवी केस सामने आने के बाद राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी गई है। गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए

(शेष पृष्ठ 3 पर)

- गुजरात और लखनऊ के नये मरीजों के साथ देश में एच.एम.पी.वी. रोगियों की संख्या 11 हो गई।

'सायबर फ्रॉड के पीड़ित को एस.बी.आई. पैसा लौटाए'

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सायबर फ्रॉड के बढ़ते मामलों के कारण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने, एक महत्वपूर्ण निर्णय के अन्तर्गत, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को निर्देश दिये हैं कि वह असम के साइबर फ्रॉड पीड़ित को 94,000 रु. रिफन्ड करे। यह फैसला वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पर विशेष प्रकाश डालता है कि वे ऑन लाइन घोटालों से ग्राहकों के पैसे की रक्षा करें तथा साइबर फ्रॉड के मामलों से निपटने की महत्वपूर्ण नजीर कायम करें।

यह घटना उस समय हुई, जब फ्रॉड का शिकार बना यह व्यक्ति, जो 4000 रु. की कीमत का लूइस फिलिप ब्लैजर लौटाने की कोशिश कर रहा था, एक घोटालेबाज के चंगुल में फंस गया, जिसने स्वयं को कस्टमर सर्विस रिप्रैज़ेंटेटिव बताया। फ्रॉड करने वाले ने चालाकी से पीड़ित से एक दुर्भावपूर्ण ऐप इन्स्टाल कराई, जिसके फलस्वरुप उसने पीड़ित के एस.बी.आई. खाते से

(शेष पृष्ठ 3 पर)

- सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला असम के एक मामले में आया है, जहाँ पीड़ित एक सामान लौटाने के चक्कर में फ्रॉड करने वाले के जाल में फंस गया और उसके खाते से 94,204 रूपये निकल गए।
- जैसे ही पीड़ित को इस ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन का पता चला, उसने खाता बंद करवा दिया तथा नैशनल सायबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट भी किया।
- पीड़ित के त्वरित एक्शन के बाद भी बैंक ने अपनी जवाबदेही से इन्कार कर दिया, जिस पर पीड़ित ने कानूनी कार्यवाही की। सत्र न्यायालय व गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पीड़ित के पक्ष में फैसला दिया।
- फैसले के खिलाफ बैंक ने सुप्रीम कोर्ट के में अपील की, पर, इसने भी पीड़ित के पक्ष में फैसला दिया है।

एस.आई.भर्ती रद्द करने से हिचक रही है राज्य सरकार

राज्य सरकार ने कहा कि हमें चीटिंग करने वाले और सही अभ्यर्थी को अलग करने के लिए और समय चाहिए

जयपुर, 9 जनवरी (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती-2021 को लेकर न्यायाधीश सुनील जैन की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। जिरह के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अतिरिक्त महाअधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को कहा कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) की जांच लंबित है और सरकार स्पष्ट जबाब नहीं दे सकती कि जांच कब खत्म होगी और सभी अपराधियों के नाम सामने आयेंगे या नहीं। उल्लेखनीय है कि स्पेशल इन्वैस्टिगेशन टीम (एस.आई.टी.) की एक रिपोर्ट में भी कहा गया कि इस मामले में जांच अंतहीन है और जितनी गहराई से मामले को जांचा जा रहा है उससे आरोपियों की संख्या तो बढ़ रही है, परंतु पुख्ता सबूत जुटाना बहुत ही जटिल कार्य है। इन तथ्यों को सामने रखते हुए राज्य सरकार ने अदालत को कहा कि वर्तमान में वह परीक्षा रद्द करने के पक्ष में नहीं है। इस पर अदालत ने राज्य सरकार को हिदायत दी कि भर्ती को लेकर ऐसा कोई काम ना करे, जिससे अदालत की ओर से दिए आदेश की अवमानना हो। साथ ही अदालत ने केन्द्र सरकार के वकील, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ए.एस.जी.) और वरिष्ट अधिवक्ता राज दीपक रस्तोगी को न्याय मित्र घोषित कर अदालत की सहायता करने के आदेश दिये।

इस मामले में याचिकाकर्ता कौशलचन्द शर्मा व अन्य की ओर से अधिवक्ता हरिन्द्र नील पैरवी के लिए पेश हुए थे और उन्होंने भी सुनवाई शुरू होते ही कहा कि राज्य सरकार अपनी

(शेष पृष्ठ 3 पर)

- राज्य सरकार की तरफ से पैरवी करते हुए ए.ए.जी. ने कहा, राज्य सरकार मामले की तह तक जाना चाहती है, लेकिन याचिका में भर्ती को रद्द करने की मांग की गई है, जिससे जाँच प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है।
- राज्य सरकार का यह भी कहना है कि अगर 2021 की परीक्षा रद्द की जाती है तो रिक्त पदों की संख्या हजारों में पहुँच जाएगी, क्योंकि 2021 से लेकर 2025 तक सब इंस्पैक्टर के पद पर एक बार भी भर्ती नहीं हुई है।
- अदालत ने केन्द्र के ए.एस.जी. आर.डी. रस्तोगी को न्याय मित्र घोषित किया। रस्तोगी ने खुद इसका विरोध किया, पर, हाई कोर्ट ने विरोध को दरकिनार कर कहा कि केन्द्र इसमें पक्षकार नहीं है, तो रस्तोगी न्याय मित्र बन सकते है।